कक्षा 8 राजनीति विज्ञान अध्याय 1: भारतीय संविधान Notes

नियम

- नियम देश में बनाए जाते है|
- आधुनिक राष्ट्रों में लिखित स्वरूप के रूप में उपलब्ध - जिसे संविधान के रूप में जाना जाता है|

संविधान की आवश्यकता क्यों है?

- 1934: संविधान सभा के लिए मांग की गई थी|
- दिसंबर 1946 में गति प्राप्त हुई|
- दिसम्बर 1946 और नवम्बर 1949 के बिच: सविंधान सभा का ठांचा तैयार किया गया था|

सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के पास संविधान है

संविधान के साथ सभी राष्ट्र लोकतांत्रिक नहीं हैं

- राष्ट्र के आदर्श जहां हम जीने की योजना बना रहे हैं|
- समाज की मुलभुत प्रकृति की व्याख्या करता है|
- सभी लोगो द्वारा सहमत नियम और सिंद्धात स्थापित किये जाते है|
- किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को समजाता है|
- सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के लिए नियम रखे जाते है|
- समानता के अधिकार की बंधकता दी जाती है|
- जांच करनी चाहिए यदि क्या प्रमुख समूह कम प्रभावशाली समूह के खिलाफ शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है|
- अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों की रक्षा करना - एक समुदाय को दूसरे पर हावी करने के लिए जांच करना, यानी अंतर-समुदाय वर्चस्व, या एक समुदाय के सदस्य एक ही समुदाय के भीतर दूसरों पर हावी है, यानी अंतर-समुदाय वर्चस्व
- हमें ऐसे फैसले लेने से बचाएं जो संपूर्ण रूप से समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकें|

मामले का अध्ययन: नेपाल

- अबतक नेपाल एक राजशाही था|
- नेपाल के पिछले संविधान ने 1990 में अपनाया - यह दर्शाता है कि अंतिम अधिकार राजा के साथ विश्राम किया गया|
- नेपाल में लोगों के आंदोलन ने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कई दशकों तक लड़ाई की|
- 2006 में: सफलता प्राप्त हुई और जाति की शक्ति समाप्त हो गई|
- नेपाल को लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए नया संविधान लिखा गया|

- राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन (हम नेताओं को चुनते हैं ताकि वे हमारी ओर से शक्ति का उपयोग कर सके)

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं

- डॉ बाबासाहेब आम्बेडकर: भारतीय संविधान के पिता, उन्होंने अनुसूचित जाति से सरकारी नौकरियों में शामिल होने का आग्रह किया|
- 20 वीं शताब्दी की शुरुआत: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ|
- योजना बनाने और विचार करने के लिए समय लिया कि भारत किस तरह का स्वतंत्र देश होगा|
- हर किसी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और शासन में भाग लेने की अनुमति है|
- 300 लोगों के समूह द्वारा किया गया - 3 साल के समय में
- विभिन्न समुदायों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ना|
- भारत के विभाजन, कुछ अनिश्चित रियासतों और लोगों के गरीब सामाजिक-आर्थिक राज्य के साथ
- दस्तावेज जो राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करते हुए विविधता बनाए रखने के लिए सम्मान को दर्शाता है|

भारतीय संविधान के स्तंभ

- *संघवाद*: सरकार के एक से अधिक स्तर - स्थानीय, राज्य और केंद्र। जबकि प्रत्येक राज्य शक्तियों के मामले में स्वायत्तता का आनंद लेता है, राष्ट्रीय चिंता के विषयों की आवश्यकता होती है कि सभी राज्य केंद्र सरकार के कानूनों का पालन करें। केंद्र सरकार के दलाल के रूप में भी बताते है|
- *सरकार का संसदीय रूप*: सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बंधकता, प्रतिनिधियों को चुनने में लोगों की भूमिका है। जाति, वर्ग और लिंग के लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना और तोडना
- *अधिकारों का विभाजन*: प्रत्येक अंग विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन करता है और उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक और अंग की जांच करता है। कार्यकारी (कानून लागू करना और सरकार चलाना) , न्यायपालिका (अदालतों की व्यवस्था) और विधायी (निर्वाचित प्रतिनिधियों)
- *मुलभुत अधिकार*: भारतीय संविधान के 'विवेक' के रूप में संदर्भित, राज्य शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा, मनमानी और पूर्ण शक्ति के खिलाफ नागरिक की रक्षा। प्रत्येक नागरिक को इसका दावा करना चाहिए और कानून बनाने के लिए हर अधिकार पर बंधन करना चाहिए|

(राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत: अनुभाग को अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए रचना की गई थी)

धर्मनिरपेक्षता: आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है|

https://www.evidyarthi.in/